न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 126 BNSS

वाद सं0 03/2025–26

प्रथम पक्ष – गजाधर साहु ...... बगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष – लालकेश्वर साहु .... बगैरह।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 17/2025 दिनांक 02/05/2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष (1)** गजाधर साहु उम्र 60 वर्ष पिता स्व0 रामवृत सहु ग्रम खंम्भिया कुम्बाटोली थाना घाघरा जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) लालकेश्वर साहु उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 बालचंद साहु ग्राम लौवाकेरा (2) कौसल्या देवी उम्र 49 वर्ष पति श्री तिलकधारी साहु उम्र मुरूमकेला दोनो थाना पालकोट, जिला गुमला के बीच खाता सं0 283, 2735 रकबा 5.12 खाता सं0 117 प्लॉट सं0 2725 रकबा 9.25 एमड़ में से 2.10 एकड़ भूमि को लेकर वाद लाया गया है, फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने विधि–व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। थाना प्रभारी पालकोट के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को धारा 126 BNSS प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को न्यायालय में अपने स्वय अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। उक्त वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समय अवधि में उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एंव संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2025.12.06 11:54:54 +05:30 Location: 192.168.1.36	